

न्यायालय कलेक्टर, जिला भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक 23 / रीडर-कले. / 2015
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23-11-2015

अवर सचिव,
माननीय राजस्व मण्डल,
कैम्प भोपाल

11130 3849-1/10/15

विषय :- पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 07 / अ6अ / 11-12, में दिनांक 21-03-2012 को पारित आदेश में अनुविभागीय अधिकारी(रा.) हुजूर के त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण पारित आदेश भी त्रुटिपूर्ण हो गये है, जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक होने के कारण प्रकरण मूलतः प्रतिवेदन दिनांक 20-10-2015 जो प्रकरण में संलग्न है, सहित पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान किये जाने के अनुरोध सहित संलग्न प्रेषित है। [शमन/शादात]

2- कृपया पुनर्विलोकन की अनुमति पश्चात मूल प्रकरण वापस भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न प्र.क.7/अ-6-अ/11-12
(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

(2 32/11/15/10/15)

प्रभारी अधिकारी
कलेक्टर न्यायालय भोपाल

23/11/15/15
कलेक्टर न्यायालय भोपाल

23/11/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. Misc. 3849 - BBR/15 जिला गोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.11.2017	<p>अवेदक की ओर से श्री अनिका कुमार शीवास्त्रव अभिभाषक उपस्थित। क्वेश्चर के प्रकरण से स्पष्ट है कि अवेदक द्वारा पुनर्विलोकन करने में सहमति दी गई है। अतः अवेदक की सहमति को देखते हुये प्रमाण क्रमांक 7/अ-6-अ/11-12 के पुनर्विलोकन को अनुमति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	

